आदेश की क्रम सं0 और तिथि	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

16.08.19

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल
जमांबदी सुधार वाद सं0–02/2011–12
रुमल खॉं वगै0
बनाम
असगर शेख, मौजा–ब्रहम जमालपुर

आदेश

यह जमाबंदी सुधार वाद आवेदन आवेदक 1. रुमल खॉं, पिता– स्व0 पोशु खॉं, 2.मो0 रैसुद्दीन खॉं, पिता–स्व0 झक्कु खॉं, 3. हुसैन खॉं, पिता– स्व0 हद्दु खॉं, सभी सा0–कोयलाबाजार, थाना– राजमहल, जिला–साहेबगंज के द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से जमाबंदी सुधार वाद से सबंधित आवेदन दाखिल किया गया है। अवलोकन किया। उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। दाखिल आवेदन के अवलोकन करने तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात संतुष्ट होकर वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए विपक्षी. को विधिवत नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा की मांग की गई तथा अंचल अधिकारी, राजमहल से इस कार्यालय से ज्ञापांक 08/डी0बी0 दिनांक 29.06.2011 के द्वारा जॉंच प्रतिवेदन की मांग की गई है।

आवेदकगण अनुपस्थित। उत्तरवादी भी अनुपस्थित।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि प्रश्नगत भूमि मौजा ब्रहमजमालपुर थाना न0 104 जमाबंदी न0 402 दाग न0 193 कुल रकवा 01–06–08 धूर जमीन मांग पंजी में रहमान शेख, पे0 हाजी उजीर शेख सा0–कोयलाबाजार के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत रहमान शेख ने निबंधित केवाला संख्या 1277/66 दिनांक 16.03.1966 के द्वारा आवदेक 1. रुमल खॉं के पिता–पुसु खॉं, एवं आवेदक संख्या 02 मो0 रैसुद्दीन खॉं एवं आवेदक संख्या 03 के दादा पुसु खॉं के निकट दाग न0 193 का 04 कट्ठा जमीन बिक्रय कर दिये जिसे खरीदने के बादे पुसु खॉं एवं उनके मृत्योपरांत आवदेकगण घर बना कर सपरिवार शांतिपूर्ण ढंग से निवास कर रहें हैं। पुनः जमाबंदी रैयत रहमान शेख ने निबंधित केवाला संख्या 5675 दिनांक 11.08.1989 के द्वारा दाग न0 193 में आंशिक रकवा 01 कट्ठा 15 धूर जमीन आवेदक रुमल खॉं एवं उनके भाई सुखरु खॉं के पास विक्रय कर दिये जिस पर उनके द्वारा संयुक्त रुप से भोग दखल में है। तथा सरकार को लगान आद कर रहे हैं। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी सूचित किया गया हैं कि जमावंदी रैयत रहमान शेख के द्वारा भिन्न–भिन्न केवाला के जरिये उक्त जमाबंदी का सम्पूर्ण जमीन बिक्री कर चुके है, केवल 02 कट्ठा 10 धूर जमीन जमाबंदी रैयत के पुत्र विपक्षी असगर शेख के पास बचा है। परन्तु विपक्षी के द्वारा राजस्व कर्मचारी को अपने पक्ष में लेकर गलत ढंग से बिना दखल, अधिकार एवं स्वत्व के उक्त जमाबंदी संख्या 402 के 09 कट्ठा 07 धूर जमीन का फर्जी जमाबंदी खुलवाकर खजाना रसीद कटवा रहे है, जिसके कारण आवेदकगण के नाम से जमाबंदी नही खुल पा रहा है। यह न्याय संगत नहीं है।

अतः आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का प्राथर्ना है कि वर्णित जमीन का जॉंच कर जमाबंदी सुधार करते हुए आवेदकगण के नाम से 05 कट्ठा 15 धूर जमीन का जमाबंदी सुधार कर जमाबंदी खोलने का अनुरोध किया गया है।

Scanned with CamScanner

आज विपक्षी अनुपस्थित है। उनके द्वारा अपने समर्थन में किसी भी प्रकार का लिखित बहस एवं अन्य कागजात न्यायालय को समर्पित नही किया गया है।

अंचल अधिकारी, राजमहल से जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त।

उपरोक्त तमाम् स्थिति एवं परिस्थति पर सम्यकरुपेण विचारोपरांत वाद की कार्रवाई अंचल अधिकारी को इस निदेश के साथ समाप्त की जाती है कि दाखिल खारीज हेतु आवेदन आमंत्रित कर बिहार अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम 1973 का पालन करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई करें।

113/ भू०५
24/09/19

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमहर्त्ता,
राजमहल।

भूमि सुधार उपसमहर्त्ता,
राजमहल।

Scanned with CamScanner